राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :–330/2022 प्रा०प०

1. डालचन्द पुत्र हजारीलाल जैन नि० चारणवास जिला - भीलवाडा - हा० प्रयाग

प्रार्थी.....

बनाम

1. राज० सरकार की रघोलाव चारोग

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

: आदेश : दिनांक 12/02/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दहीया पटवार हल्का दहीया तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 04 आराजी नम्बर 1652/1AB 0.3520 / 1 मुतबिका 1 रकबा 0.3520 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के विपक्षीगण के पास आराजी मुताबिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/02/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की आवश्यकतानुसार से यह सिद्ध है कि राजस्व भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। ऐसे भी इस प्रकार आदेश के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेर–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित हो जाते है। अतः इन्हीं तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

: आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दहीया पटवार हल्का दहीया तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 04 आराजी नम्बर 1652/1AB 0.3520 / 1 मुतबिका 1 रकबा 0.3520 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की मुकम्मल जानकारी दिये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु मु– अभिलेख निरीक्षक को 450/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थलस्थिति को बनाये रखते हुये मुनासिब बिन्दु को अवसर मानकर पत्थरगढी की जावे। कमाल खाडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:09:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी

दिनांक

Dalchand